(वाद सं0–76/4/32/2020)

22.09.2021

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, श्री जनमेजय प्रताप सिंह, कार्यपालक सहायक, अचंल कार्यालय, अमनौर, सारण को अप्रैल 2018 से जुलाई 2018 एवं मार्च 2019 से जून 2019 तक का मानेदय नहीं दिये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में जिलाधिकारी, सारण, छपरा से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिलाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी को उपरोक्त बकाया अवधि के मानदेय का भुगतान किया जा चुका है। तत्पश्चात् परिवादी की ओर से भी राज्य आयोग को सूचित किया गया कि उसे बकाया अवधि के मानदेय का भुगतान संबंधित प्राधिकार द्वारा किया जा चुका है साथ ही साथ उक्त अवधि का बकाया अंतर राशि का भी भुगतान PPF कटौती के साथ उसे किया जा चुका है।

परिवादी का कथन है कि अब उसका कोई लंबित मानदेय बकाया नहीं है।

अब, जबकि राज्य आयोग के निर्देश के अनुपालन में संबंधित प्राधिकार द्वारा परिवादी के परिवाद का संतोषप्रद समाधान किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में प्रस्तुत मामले में अब अग्रेत्तर कार्रवाई किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में उक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक